

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 528] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1979/अग्रहायण 22, 1901
No. 528] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 13, 1979/AGRAHAYANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1979

का. आ. 796 (अ).—हाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ इम्प्लायमेंट) एक्ट, 1948 (1948 का 9) की धारा 5ए की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उप श्रम आयुक्त, केरल सरकार, एर्नाकुलम, के स्थान पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, केरल सरकार, एर्नाकुलम के कोचीन हाफ लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की संख्या का. आ. 150 (इ.) दिनांक 4 मार्च, 1978 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाए अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मव संख्या 3 में केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले संवत्स्य "शीर्षक के अधीन की गई प्रविष्टि" उप श्रम "आयुक्त, केरल सरकार, एर्नाकुलम," के एवज में "क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त, केरल सरकार" रखा जायेगा।

[फा. सं. एल.डी.एस/39/79-एल 3]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1979

S.O. 796(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Regional Joint Labour Commissioner, Government of Kerala, Ernakulam, as a member of the Cochin Dock Labour Board vice the Deputy Labour Commissioner, Government of Kerala, Ernakulam, and directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 150(E), dated the 4th March, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "Members representing the Central Government", against item 3, for the entry "The Deputy Labour Commissioner, Government of Kerala, Ernakulam", the entry "The Regional Joint Labour Commissioner, Government of Kerala, Ernakulam", shall be substituted.

{F. No. LDX/39/79-L. III}

DINESH KUMAR JAIN, Jt. Secy.